आदेश को विस्तृत रुप में "मध्य प्रदेश" के संबोधन के साथ दिए गए इस आदेश में अवलोकन करे। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में इस आदेश में जहाँ "म.प्र." शब्द आया है उसे "छत्तीसगढ़" माने।

(3) मध्य प्रदेश नमक (नियंत्रण) आदेश, 1963[1]

भारत सरकार के उत्पादन मंत्रालय के आदेश क्र. एस.आर.ओ. (242) Ess/com(5)दिनांक 5 जून 1955 के साथ सहपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करता है, यथा—

1. (1) यह आदेश मध्य प्रदेश नमक (नियंत्रण) आदेश, 1963 कहलाएगा।

(2) संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका विस्तारित होगा।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

2. इस आदेश में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे—

(अ) **"व्यवहारी"** से एक ही समय में 37 क्विंटल से अधिक होने वाली मात्रा के नमक को खरीदी बिक्री या बिक्री के लिए भंडारन के व्यापार में संलग्न व्यक्तियां, संलग्न होने की इच्छा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ब) **"प्ररुप"** इस आदेश के साथ संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है।

(स) **"फुटकर विक्रेता"** व्यक्ति जो व्यापारी नहीं अभिप्रेत है।

(इ) **"नमक"** किसी भी प्रकार का नमक जिसमें राक नमक शामिल है अभिप्रेत है।

(ई) **"राज्य शासन"** मध्य प्रदेश राज्य शासन अभिप्रेत है ।

3. (1) राज्य शासन समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अधिकतम मूल्य निश्चित कर सकता है जिस पर विनिर्दिष्ट प्रकार या श्रेणी का नमक विक्रय या परिदत्त किया जा सकेगा।

(2) व्यापारियों और फुटकर विक्रेताओं का स्वीकृत लाभ का प्रतिशत क्रमवार 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु राज्य शासन स्थानीय दशाओं के अनुसार और अन्य सुसंगत परिस्थितियों में, लाभ प्रतिशत में समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगा।

4. कोई भी व्यापारी या फुटकर विक्रेता, बिना युक्तियुक्त कारण के खंड 3 के अंतर्गत नियत मूल्य पर नमक बेचने से इंकार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण— बाद की दिनांक में अधिक मूल्य प्रापत करने की संभावना या प्रत्याशा इस खंड के आशय के लिए पर्याप्त कारण होना नहीं माना जावेगा।

5. नमक का प्रत्येक व्यापारी और फुटकर विक्रेता, राज्य शासन द्वारा नियत मूल्य दर्शित करने की सूचना प्रमुख रुप से प्रदर्शित करेगा।

6. (1) संचालक खाद्य आपूर्ति मध्य प्रदेश की लिखित अनुज्ञा के अलावा कोई व्यक्ति, मध्य प्रदेश राज्य के किसी जिले से मध्य प्रदेश के बाहर के किसी स्थान को नमक, रेल या सड़क द्वारा निर्यात नहीं ले जाएगा या निर्यात ले जाने को नहीं करवाएगा।

(2) कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य के किसी जिले से मध्य प्रदेश में उस जिलों से बाहर किसी स्थान को, राक नमक, रेल या सड़क द्वारा उस जिले के कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा बिना निर्यात या नहीं ले जाएगा या निर्यात, या ले जाने को नहीं करवाएगा।

---

1. म.प्र. शासन आदेश क्र. 3319-1554-30-63 दिनांक 4-7-1965 के द्वारा निर्मित म.प्र. राजपत्र असाधारण 13-9-63 पृष्ठ 2675 पर प्रकाशित।

Scanned by CamScanner

7. (1) मध्य प्रदेश राज्य के किसी जिले से मध्य प्रदेश राज्य के बाहर अन्य स्थान को नमक निर्यात करने या ले जाने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिले के कलेक्टर के माध्यम से संचालक खाद्य आपूर्ति मध्य प्रदेश को प्ररुप 1 में आवेदन पत्र देगा, जो उस माह के, जिसमें कि नमक निर्यात किया जाना है या ले जाया जाना है, के पूर्व माह की 15 तारीख के पश्चात न पहुंचे।

(2) किसी राज्य के किसी जिले से उस जिले से बाहर राज्य मतें किसी स्थान को राक नमक निर्यात करने या ले जाने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिले के कलेक्टर को प्ररुप 1 में आवेदन पत्र देगा, जो उस माह के, जिसमें कि राक नमक निर्यात किया जाना है या ले जाया जाना है के पूर्व माह की 15 तारीख के पश्चात न पहुंचे।

8. (1) ऐसे आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर यथास्थिति, संचालक खाद्य आपूर्ति मध्य प्रदेश या कलेक्टर उस अवधि को उल्लेखित करते हुए जिसमें अनुज्ञा वैध रहेगी, प्ररुप 2 में अनुज्ञा जारी कर सकता है। संचालक खाद्य आपूर्ति मध्य प्रदेश या कलेक्टर, यथास्थिति सामान्य या विशेष आदश द्वारा किसी अनुज्ञा की वैधता को किसी आगामी अवधि के लिए बढ़ा सकता है और किसी भी समय बिना कोई कारण दिए उसके द्वारा जारी की गई अनुज्ञा को विखंडित कर सकता है या निलंबित कर सकता है ।

(2) ऐसी अनुज्ञा हस्तांतरण योग्य नहीं होगी।

9. प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अनुज्ञा प्रदान की गई है, प्रेषण या ले जाना पूरा होने पर या उसकी वैधता की अवधि समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, निर्धारित विवरण सम्यक रुप से भरते हुए, जारी करने वाले अधिकारी की अनुज्ञा वापस कर देगा।

10. यदि अनुज्ञा उस व्यक्ति द्वारा खो जाता है जिसको कि वह जारी की गई थी, वह संचालक खाद्य आपूर्ति मध्य प्रदेश या कलेक्टर को जैसी भी स्थिति हो नई अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा।

11. यदि अनुज्ञा से आच्छादित का नमक, साधारण वाहक द्वारा ले जाया जाना है तो अनुज्ञा उसके समक्ष या उसके अधिकृत अभिकर्ता के समक्ष पेश की जाएगी।

12. कोई भी सामान्य वाहक, किसी नमक को, जिसके लिए अनुज्ञा आवश्यक है निर्यात या नहीं ले जाएगा जब तक कि अनुज्ञा उसके समक्ष या उसके अधिकृत अभिकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है। इस प्रकार प्रस्तुत की गई अनुज्ञा उस व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी जिसके सामने वह प्रस्तुत की गई हो और उस व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी जिसने कि प्रस्तुत किया हो।

13. प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक माह की 15 तारीख की या उसके पूर्व, उस जिले के कलेक्टर को, जिसमें नमक भंडारन किया गय है या भंडारन किया जाना है, स्टाल का पूण्र एवं सही विवरण प्ररुप 3 में प्रस्तुत करेगा।

(i) पूर्व माह के अंतिम दिवस अपने स्वयं के लेखे में होने वाले स्टॉक या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे में होने वाले स्टॉक ;

(ii) पूर्व माह के अंतिम दिन राज्य के भीतर या बाहर किसी स्थान से उसके लिए मार्ग में होने वाला स्टॉक;

(iii) वाणिज्य या व्यापार के दौरान पूर्व माह में प्रदत्त आदेश का स्टॉक ;

14. (1) राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी या व्यक्ति, इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए—

(अ) किसी स्थान, परिसर, या न या जलयान के किजसमें उसे विश्वास करने के लिए कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, उल्लंघन किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्वामी कब्जेदार या प्रभार के किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे उल्लंघन से संबंधित संव्यवहार को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं पुस्तकों, लेखा या अन्य दस्तावेजों

Scanned by CamScanner

को पेश करने की अपेक्षा कर सकता है।

(ब) किसी स्थान या परिसर, यान या जलयान में जिसमें उसे विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है या तोड़कर खोल सकता है और तलाशी ले सकता है;

(स) ऐसे उल्लंघनों से संबंधित संव्यवहार बताने वाले किन्हीं दस्तावेजों में से जो उसके सामने पेश किए जाते हैं, संक्षिप्त या प्रतिलिपि ले सकता है या लिए जाने की व्यवस्था कर सकता है;

(द) इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन में नमक के स्टाक की और कथित नमक को ले जाने में उपयोग किए गए पशुओं, यानों या जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकता है, अभिग्रहण कर सकता है या हटा सकता है ओर उसके बाद इस प्रकार जप्त किए गए नमक और पशुओं, यानों जलयानों या अन्य वाहनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ओर इस प्रकार पेश करने तक उसी सुरक्षित अभिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, समस्त आवश्यक उपाय करेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्र. 5 सन् 1898) की धारा 102 एवं 103 के उपबंध जो तलाशी लेने तथा जप्ती करने के संबंध में है, यथासंभव इस खंड के अधीन तलाशियां लेने तथा जप्ती करने के लिए लागू होंगे।

15. यदि कोई व्यक्ति, इस आदेश के अंतर्गत पारित किसी आदेश या दिए गए किसी निर्देश का उल्लंघन करे, तो ऐसे किसी दर पर, जिसके कि दायित्वाधीन वह हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपराध पर विचारण करने वाला कोई न्यायालय यह आदेश देगा कि नमक के किसी भी स्टाक को उनके पैरेजो तथा आवरणों सहित जिसके कि संबंध में न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि अपराध घटित किया गया है, शासन के पक्ष में समपहृत कर लिया जाए, जब तक अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की यह राय न हो कि ऐसा आदेश ऐसी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में जैसी भी स्थिति हो नहीं दिया जाना चाहिए।

16. म.प्र. नमक (नियंत्रण) आदेश, 1955; मध्यभारत नमक (नियंत्रण) आदेश, 1949; विन्ध्यप्रदेश नमक (वितरण एवं मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1952 और उससे संबंधित सभी अन्य आदेश जो मध्यप्रदेश के किसी भाग में इस आदेश के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत हो, एतद् द्वारा निरसित किए जाते है, परन्तु किसी निरसित आदेश के अंतर्गत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जहां तक वे इस आदेश के प्रावधानों से प्रतिकूल न हो, इस आदेश के समान प्रावधानों के अंतर्गत किया गया कार्य या की गई कार्यवाही माना जावेगा।

FORM I

(See clause 7)

Application for Salt permit

The Director of Food Supplies, Madhya Pradesh
Collector,
Dear sir,

Please issue a permit in my favour for booking/carrying------------------ quintals/bags of salt by rail/road from the ------------------------------- Railway Station on the -------------------------Railway for the -----------in the ----------------- district undermentioned destination-----

Name and address of applicant --

Last date up to which booking will be made/the salt will be carried----------------

Scanned by CamScanner

Quantity of salt to be booked/carried in Quintals or----------------------------------

(State weight of salt per bag)

Type of salt-

Railway destination/destination (State name of railway Station/Place and district or State)-

Yours faithfully.

Address-------------------------

Dated the ------------------197

FORM II

(See sub-clause (i) of clause 8)

(Not Transferable)

Permit for transport carriage of salt by rail/road

Permit No.--------------------.

Dated---------------------------

Valid up to (date) ------------

(This permit shall not be accepted by the Railway/valid if it is altered in manner)

Name of the holder of the permit------------------------------------Address- ---is hereby authorised to book/carry--------------------------------quintals/bags of salt at ------ --Station of -------------------------------- Railway/from----------------------------------place (name) ---------------------------- -------district-------------------------------consigned to ------------------------Station of --Railway/place (name) district -------------- --

----

Director of Food Supplies,
Madhya Pradesh

Collector-------------------

(Issuing authority)

Note— This permit shall be returned by the consignor to the Director of Food Supplies or the Collector, as the case may be, within one week of the completion of despatch or on expiry of the period of its validity, whichever is earlier with the particulars of actual despatches in the form prescribed on reverse.

Particulars of Despatches

(To be printed on the reverse of the permit)

Invoice No. (1)	Date to (2)	Station/Place (3)

Scanned by CamScanner

Quantity (4)	Rate per quintal (5)	Amount (6)	Remarks (7)

I beerby declare that the above is a complete and correct list of invoices in respect of salt booked/carried from this station/place (name) under the permit appearing on reverse.

Dated the ------------------19

Station--------------------------

Place--------------------------

Signature of Consignor

Note- the above particulars shall be filled in and signed by the consignor and the permit returned to the Director of Food Spplies or the Collector, as the case may be\ within one week of completion of despatches or on expiry of the period of its validity, whichever is earlier.

FORM III

(See clause 13)

Full name and address of the person carrying on trade or business--Location of godown or place where the salt is stored---Stock. -

(i) (a) held on his own account-

weight kind

(b) held on account of other person-

weight kind

(ii) in transit-

weight kind

Source of supply-

(iii) Ordered-

weight kind

Source of supply-

Full name and address of each person on account of whom stock is held ---Weight ------------------------------------kind price (if any) paid---Average cost price per quintal of salt in (i) ----------------------------------Anticipated cost price per quintal of salt in (ii) ----------------------------Rate of profit per Rs. 100 expected to be made by resale of the stock by the person making the return ------------------------------

Quantities proposed to be exported by him during the current month to places outside the district with their names ------------------

Scanned by CamScanner

Quantities exported during the proceeding month from to places outside the district with their names------------------------

Quantities imported during the preceding month within the State---------

Note- The Quantity shall be given in quintal and grams.

Dated the ---------------19

Signature of dealer

Government of Madhya Pradesh : Food Department

Notification No. 5566/2082/xxx/63, dated the 24 October, 1963)

(M.P. Gazette I, dated 3-7-1964)

In exercise of the powers conferred by clause 14 of the Madhya Pradesh Salt (Control) Order, 1963, the State Government hereby authorises the Officers specified in column (2) of the Table below to exercise the powers conferred under the said clause within the limits of the jurisdictions specified in the corresponding entries in coumn (3) there of-

TABLE

S.No. (1)	Designation of the Officers (2)	Limits of jurisdictions (3)
1.	Director of Food Supplies, M.P.	Whole of the State.
2.	Deputy Director of Food Supplies, Madhya Pradesh.	Whole of the State.
3.	All Assistant Directors of Food Supplies, Madhya Pradesh.	Whole of the State.
4.	All Food Officers, Madhya Pradesh.	Within the limits of their respective Districts.
5.	All Assistant Food Officers, Madhya Pradesh.	Within the limits of their respective jurisdictions.
6.	All Food and Civil Supplies Inspectors, Madhya Pradesh.	Within the limits of their respective jurisdictions.
7.	All Assistant Food and Civil Supplies Inspectors, Madhya Pradesh.	Within the limits of their respective jurisdictions.
8.	All Asstt. Collectors, Madhya Pradesh.	Within the limits of their respective jurisdictions.
9.	All Deputy Collectors, Madhya Pradesh.	Within the limits of their respective jurisdictions.
10.	All Tahsildars, Madhya Pradesh.	Within the limits of their respective jurisdictions.
11.	All Naib-Tahsildars, Madhya Pradesh.	Within the limits of their respective jurisdictions.
12.	All Police Officers of and above the rankof Assistant Sub-Inspectors ,Madhya Pradesh .	Within the limits of their respective jurisdictions.

Scanned by CamScanner